कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 3514 भोपाल, दिनांक 13/10/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 021/2022-BHO दिनांक 26.07.2022 .

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Documental evidence of construction/ existence of this road before 1980 shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने वर्ष 1969–70 की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार उक्त मार्ग 1980 के पूर्व का है। (टोपोशीट संलग्न है)
2	Technical approval of CA area/site suitability certificate of DFO shall be submitted.	इस संबंध में वन मण्डलाधिकारी धार ने आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	CA scheme as per Para 2.8(iii) of FCA Handbook 2019 shall be submitted.	प्रकरण में गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न है।
4	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc) shall be submitted.	उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में किसी प्रकार की रेल्वे एवं जल संसाधन विभाग की परियोजना प्रचलित नहीं है, इसलिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	उपरोक्त प्रकरण में केवल मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसकी जानकारी ऑनलईन भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B 2.4 Component wise breakup में दी गई है।
6	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण के पश्चात खुदाई से निकलने वाले मलबे (muck) का उपयोग Embankment बनाने में किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।
7	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be clarified.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण का कार्य विद्यमान alignment में ही किया जाना प्रस्तावित है।
8	KML file of full road needs to submit & uploaded on webportal.	प्रस्तावित मार्ग की KML file ऑनलाईन भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) में अपलोड है।
9	Wrong FRA certificate (1.59 ha Tanda to Balwadi road) and road chainage details has been submitted.	आवेदक संस्थान ने 2.775 हेक्टेयर का संशोधित वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर अलीराजपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि संलग्न है।
10	As per DSS analysis, about 176 meter of road has been constructed. Thus details of violation needs to be submitted and necessary corrections need to be incorporated in Part II.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य किया गया है, वह वन भूमि न होकर शासकीय राजस्व भूमि पर किया गया है, इस संबंध में नायब तहसीलदार, तहसील उदयगढ़, जिला अलीराजपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2022 संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13/10/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1141/2022/10–11/3515 भोपाल, दिनांक 13/10/22

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर/धार, मध्यप्रदेश।
3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)
CIN : U45203MP2004SGC016758
Darbar Singh Gohel, Silver Hills Colony, Opp, Maharana Pratap Statue
Indore Road, Dhar (M.P.) 454001 Tel. 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

क्रमांक 1758/म.प्र.स.वि.नि.लि/2022 धार, दिनांक 07/10/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– अलीराजपुर जिले में एडीबी–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल अलीराजपुर का पत्र क्रमांक मा.चि./2022/2509 दि. 09/09/2022

----000----

उपरोक्त विषय में लेख है की अलीराजपुर जिले में एडीबी–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण का किया गया कार्य वनभूमि में न होकर शासकीय राजस्व भूमि ग्राम कानाकाकड़ के पास फॉरेस्ट एरिया के पहले ग्राम अखोली के शासकीय भूमि पर किया गया है। स्थल निरीक्षण पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रदाय किया गया प्रमाण पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–प्रमाण–पत्र एवं एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट।

(श्याम कुमार गुप्ता)
संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम लि.
इन्दौर–2, धार (म.प्र.)

पृ क्रमांक /म.प्र.स.वि.नि.लि/2022 धार, दिनांक

प्रतिलिपि–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इंदौर वृत्त, इंदौर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल अलीराजपुर ।

–sd–
संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम लि.
इन्दौर–2, धार (म.प्र.)

विविध

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 1959
...भोपाल 12/10/22

कार्यालय नायब तहसीलदार उप तहसील उदयगढ, जिला अलीराजपुर, (म0प्र0)

क्रमांक/रीडर/2022/238 उदयगढ, दिनांक 19/09/2022

//प्रमाण-पत्र//

श्रीजी कट्ठीवाडा, भाबरा, उदयगढ हाईवे प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा भाभरा से उदयगढ तक की सडक बनाई है, ग्राम कानाकाकड के पास फोरेस्ट एरिया के पहले हमारी सडक शासकीय भूमि में बनाई गई है, उसका सत्यापन करके सत्यापन प्रमाणपत्र चाहा गया है।

तद्संबंध में हल्का पटवारी नंबर 12, ग्राम कानाकाकड से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीजी कट्ठीवाडा, भाबरा, उदयगढ हाईवे प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम कानाकाकड के पास फोरेस्ट एरिया के पहले ग्राम अखोली में सडक शासकीय भूमि पर बनाई गई है।

उक्त प्रमाण पत्र श्रीजी कट्ठीवाडा, भाबरा, उदयगढ हाईवे प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा चाहे जाने पर प्रदाय किया जाता है।

(सविता चौहान)
नायब तहसीलदार
उप तहसील उदयगढ

FORM-I

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Alirajpur

No. 2271 Dated 06/04/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's **Letter no 11-9/98-FC (Pt.) dated 3rd August 2009** wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's **letter dated 5th February 2013**, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.775 ha (1.850 length)** of forest land proposed to be diverted in favour of Divisional Manager, **Madhya Pradesh Road Development Corporation, Distt. Dhar** for for Bhabra-Udaigerh-Bori Road in Alirajpur District falls within jurisdiction of **Akholi villages** in Jobat Tehsil.

It is further certified that :-

1. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.775 ha (1.850 length)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Leval Committee(s) and the District Leval Committee are enclosed as annexure II;
2. The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
3. The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal groups and pre agricultural communities;

Encl :- As Above.

Collector
District Alirajpur
जिला-अलीराजपुर

FORM-II

(for project other then linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Alirjapur

******

No. 2271 Dated 06/04/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **2.775 ha (1.850 length)** of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Road Development Corporation, Dhar for project of for **Bhabra-Udaigerh Road** (purpose for diversion of forest land) in Dhar falls within jurisdiction of **Akholi villages** in Alirjapur district.

It is further certified that ;

a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **2.775 ha (1.850 length)** of forest land proposed for diversion A copy of record of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure II;

b) the proposal for such diversion (with full Details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA;

c) the each of Concerned of Gram Sabha(s) has certified that al formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given there consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood purpose and details of proposed diversion, A copy of certificate issued by the Gram Sabha **Akholi village(s)** is enclosed as annexure II;

d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when then was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present;

e) the diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

f) the right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Collector
कलेक्टर
District Alirajpur
जिला-अलीराजपुर

Encl: As above.